

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्हालीकोट तक 5.00 किमी० मीटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**लैंड शैड्यूल
(आरक्षित वनभूमि)**

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लॉक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है०)
बागेश्वर	बागेश्वर	सैतानी / कपकोट दाडिमखेत पारकोट कै.सं० 11	ड० पारकोट	600 मी०	9 मी०	0.540 हे०

ह०/- अधिसारी अश्विनी
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
प्रयोक्ता एजेन्सी
कपकोट (बागेश्वर)

वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

ह०/ प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर (बागेश्वर)

ह०/ प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट:- यह सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लैन्ड शैड्यूल
सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाभूमि का लैन्ड शैड्यूल के लिये (राजस्व विभाग/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र)

जिला	तहसील का नाम	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
बागेश्वर	गराड़	सैलानि/ नैमगो/ कुमायवा	16 खा० सं० 83	4.543	1600 मी	9 मी.	1.440 हे०

हो/- अधिशासी अभियन्ता
निर्माण विभाग, लो०नि०वि०
प्रयोक्ता एजेन्सी

हो/- जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी

राजस्व उपनिरीक्षक
सूचना प्रणाली

वन क्षेत्रीय वन्यजीव
कार्यपालक
तहसीलवार मरुद
जनपद-बागेश्वर

वन क्षेत्रीय वन्यजीव
कार्यपालक
तहसीलवार मरुद
जनपद-बागेश्वर

क्षेत्रीय वन्यजीव
कार्यपालक
तहसीलवार मरुद
जनपद-बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग-अलग प्रपत्र गरा जाना है।

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का नव निर्माण के स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरक्षण पर वृक्ष खड़े मौजूद हैं जिनकी गणना प्रस्ताव विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण निरीक्षण के समय की जा चुकी है। अतः शा०सं० 866/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 तथा 883/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 04.01.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त आरक्षित/वन पंचायती भूमि राजस्व अभिलेखों श्रेणी 23/2010 में दर्ज कागजात है। एवं वनभूमि में वृक्ष खड़े होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक है।

अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।


[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]